(b) whether it s a fact that to abolish adhocism, Government have dispensed with rule 13(7) of CSS Rules, 1962 under which temporary promotions in the Grade of Assistant were made; and

(c) if so, the extent to which adhocism is minimised and what steps have been taken by Government to regularise the services of Assistants who have been working on adhoc basis for a long time?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) The Assistants' Grade in the Central Secretariat Service is decentralised, and appointments/promotions to it are made cadre-wise, Details of vacancies filled Select List year wise are not centrally maintained. However, the available infomation in respect of Select List years 1987 to 1989 is furnished below:—

SL	Year	Direct Rectt.	
	1987	117	
..	1988	186	
	1989	364	
	Seniority	Long Term	
	254	580	
	314	279	
	1460	Nil	

(b) Government discontinued the system of long term promotions for filling temporary vacancies from October, 1988, in order to streamline the promotion process.

(c) Adhoc promotions are to be made only as stop gap arrangements pending the availability of qualified candidates/regular promotees. The duration of adhoc promotion does not affect the entitlement for regular promotion does not affect the entitlement for regular promotion and such promotion are to take place against the normal vacancies through the Select List process.

Parity in Pension

5975. SHRI NILOTPAL BASU: Will the PRIME MIISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that parity in pension was extended in certain Government services in respect of pre-1986 retires; and

(b) if so, the reason for not extending such benefit to Railway pensioners?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) and (b) For the purpose of pensionary benefits, all Civilian Central Government employees including Railway employees are treated alike. The benefit of consolidation of pension based on the recommendations of IVth Pay Commission allowed to pre-1986 Civilian Central Govt. pensioners was also extended to Railway pensioners.

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यरो द्वारा दर्ज किये गये मामले

5976. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रत्येक डिवीजन द्वारा कितने मामले दर्ज किये और उक्त अवधि में कितने मामले निपटाये गये ;

(ख) वर्ष 1992 के दौरान रंगे हाथों पकडे गये अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अभियोजन के लिये कितने मामले न्यायालयों में भेजे गये ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेटआल्वा) : (क) गत तीन वर्ष अर्थात् 1991 से 1993 के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के भ्रष्टाचार निरोध तथा विशेष अपराध डिवीजन ने क्रमश: 3006 तथा 687 मामले दर्ज किये। दर्ज मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

	भ्रष्टाचार निरोध डिवीजन	विशेष अपराध डिवीजन
1991	956	224
1992	1025	206
1993	1025	257
कुल :	3006	687

इसी प्रकार उपरोक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के भ्रष्टाचार निरोध डिवीजन तथा विशेष अपराध डिवीजन ने क्रमश: 3192 और 730 मामलों का निपटान किया। निपटान किये गये मामलों में पिछले वर्षों से अग्रणित मामले भी शामिल है। निपटान किये गये मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्न है –

	भ्रष्टाचार निरोध डिवीजन	विशेष अपराध डिवीजन
1991	963	219
1992	1132	221
1993	1097	290
कुल:	3192	730

(ख) वर्ष 1992 के दौरान, कुल 240 लोक सेवकों (जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी भी शामिल हैं) को गैर-कानूनी परितोषण मांगते तथा लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया था। इन 240 लोक सेवकों में से 59 राजपत्रित स्तर के तथा 181 अराजपत्रित स्तर के अधिकारी थे।

(ग) वर्ष 1992 के दौरान, 505 मामलों को अदालत में परीक्षण के लिये भेजा गया था। इन 505 मामलों में से 363 मामले भ्रष्टाचार निरोध डिवीजन तथा 142 मामले विशेष अपराध डिवीजन के थे।

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया में प्रबंध

5977. **मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस आफ इंडिया", नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां स्वागत कार्यालय में प्रशिक्षणार्थियों के मार्गदर्शन हेतु कोई प्रबंध नहीं है और न ही प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराये जाते हैं और उन्हें बेचों में बांटने के बाद भी दो प्रशिक्षणार्थियों को मिर्फ एक सेट कम्प्यूटर ही मिल पाता है तथा उन्हें पहले से ही संबंधित साहित्य उपलब्ध नहीं कराये जाते एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र गोदाम/गैरेज सा दीखता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस आफ इंडिया, नई दिल्ली को पांच प्रशिक्षण